संख्या-57जेएल/22-3-2023-100(25)/2021

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 03 फरवरी, 2023

विषयः- जलपाईगुडी केन्द्रीय सुधार गृह, पश्चिम बंगाल में निरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य के 02 सिद्धदोष बंदियों को उत्तर प्रदेश की विभिन्न कारागारों में स्थानांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-34844/सामा-1(4)/08/वा0प्र0बंदीस्था0(पश्चिम बंगाल)/2021, दिनांक 03.11.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य की केन्द्रीय सुधार गृह, जलपाईगुडी में निरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य के 02 सिद्धदोष बंदियों - (1) अभिषेक कुमार सिंह तथा (2) अमल सिंह यादव उर्फ अमोल यादव को उत्तर प्रदेश की विभिन्न कारागारों में स्थानांतरित किये जाने की उपलब्ध कराई गई संस्तुति के क्रम में बंदी अंतरण अधिनियम-1950 की धारा-3, सपठित उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 के प्रस्तर-130 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नांकित विवरणानुसार 02 बंदियों को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उनके नाम के सम्मुख अंकित कारागार में स्थानांतरित किये जाने हेतु सहमति प्रदान की जाती हैः-

क्र0	बंदी का नाम/पिता का नाम	गृह जनपद	प्रस्तावित कारागार का नाम
1	2	3	4
01	अभिषेक कुमार सिंह पुत्र श्री कृष्णा सिंह	वाराणसी	केन्द्रीय कारागार, वाराणसी
02	अमल सिंह यादव उर्फ अमोल यादव पुत्र श्री हरनाम उर्फ सरनाम यादव	कन्नौज	केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़

2- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
राजेश कुमार सिंह
प्रमुख सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी/फर्रूखाबाद।

2- अपर महानिदेशक/महानिरीक्षक, सुधार सेवायें निदेशालय, जेसप बिल्डिंग, प्रथम तल, 63, एन0एस0 रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700001 को उनके पत्र संख्या-660/आईजी-सीएसडब्लूबी/22, दिनांक 30.09.2022 तथा पत्र संख्या-659/आईजी-सीएसडब्लूबी/22, दिनांक 30.09.2022 के संदर्भ में। (रजिस्टर्ड)

3- वरिष्ठ विशेष सचिव, होम एण्ड हिल अफेयर्स डिपार्टमेंट, पुलिस स्थापना शाखा, नबन्ना, 325, शरत चटर्जी रोड, मंदिरतला, शिबपुर, हावड़ा, पश्चिम बंगाल-711102 को उनके पत्र संख्या-1201-एच(लॉ)/पीई/16एस-28/22, दिनांक 03.11.2022 के संदर्भ में। (रजिस्टर्ड)

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी/फतेहगढ़।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-1499जेएल/22-3-2022-100(25)/2021

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 15 दिसम्बर, 2022

विषयः- जलपाईगुडी केन्द्रीय सुधार गृह, पश्चिम बंगाल में निरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य के 03 सिद्धदोष बंदियों को उत्तर प्रदेश की विभिन्न कारागारों में स्थानांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-9646/सामा-1(4)/8/वा0प्र0बंदीस्था0(जलपाईगुडी केन्द्रीय सुधार गृह, पश्चिम बंगाल)/2021, दिनांक 25.03.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य की केन्द्रीय सुधार गृह, जलपाईगुडी में निरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य के 05 सिद्धदोष बंदियों - (1) राहुल गोस्वामी, (2) उमेश कुमार पाल, (3) मुकेश कुमार पाल, (4) बलकार सिंह तथा (5) सन्तू सिंह यादव को उत्तर प्रदेश की विभिन्न कारागारों में स्थानांतरित किये जाने के अनुरोध के क्रम में बंदी अंतरण अधिनियम-1950 की धारा-3, सपठित उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 के प्रस्तर-130 के प्रावधानों के अन्तर्गत 05 बंदियों में से निम्नांकित विवरणानुसार 03 बंदियों को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उनके नाम के सम्मुख अंकित कारागार में स्थानांतरित किये जाने हेतु सहमति प्रदान की जाती हैः-

क्र0	बंदी का नाम/पिता का नाम	गृह जनपद	प्रस्तावित कारागार का नाम
1	2	3	4
01	उमेश कुमार पाल पुत्र श्री राम दुलार पाल	प्रतापगढ़	केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज
02	मुकेश कुमार पाल पुत्र श्री राम दुलार पाल	प्रतापगढ़	केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज
03	सन्तू सिंह यादव पुत्र श्री दिनेश चन्द्र यादव	कन्नौज	केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़

2- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
हा0/-
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज/फर्रूखाबाद।

2- अपर महानिदेशक/महानिरीक्षक, सुधार सेवायें निदेशालय, जेसप बिल्डिंग, प्रथम तल, 63, एन0एस0 रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700001 को उनके पत्र संख्या-मेमो नं0-81/टीआर-6(8)/13, दिनांक 22.01.2021 के संदर्भ में। (रजिस्टर्ड)

3- वरिष्ठ विशेष सचिव, होम एण्ड हिल अफेयर्स डिपार्टमेंट, पुलिस स्थापना शाखा, नबन्ना, 325, शरत चटर्जी रोड, मंदिरतला, शिबपुर, हावड़ा, पश्चिम बंगाल-711102 को उनके पत्र संख्या-1201-एच(लॉ)/पीई/16एस-28/22, दिनांक 03.11.2022 के संदर्भ में। (रजिस्टर्ड)

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज/फतेहगढ़।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
हा0/-
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in